UPMT010040752026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1782/2026
अंगूरी देवी, राजकुमार एवं श्यामबाबू प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 267/2025, धारा 318(4),338,336(3),340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना महावन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण **अंगूरी देवी, राजकुमार एवं श्यामबाबू** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्रों पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्तगण कतई निर्दोष हैं, उनको झूठा व गलत फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी भी सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो लंबित है और न ही खारिज किया गया है, वे पूर्व सजायाफ्ता नहीं हैं, अतः उन्हें दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन व वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण आदि द्वारा आपसी षड्यंत्र के तहत अपने भाग की भूमि से अधिक की सम्पत्ति के सीमाओं व दिशाओं से अधिक फ्रंट को, जोकि वादी मुकदमा मोहित चौधरी के भाग खसरा संख्या 172,173,174,175 स्थित मौजा मुबारकपुर बाँगर, तहसील महावन, जिला मथुरा की भूमि है, से करीब 25 फीट अतिरिक्त भूमि के मिथ्या व कूटरचित बैनामे यह जानते हुए निष्पादित किया जाना कि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वे उसके स्वामी हैं, आदि आक्षेपित है। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध बाद विवेचना आरोपपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और आरोपपत्र पर संज्ञान भी लिया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण को समन से तलब किया गया, किन्तु आदेशिका की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी वे उपस्थित नहीं हुए, तब न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध पहले जमानतीय वारण्ट व उसके बाद गैर जमानतीय वारण्ट जारी किए गए, अतः यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था 'श्रीकांत उपाध्याय आदि प्रति बिहार राज्य आदि' के अनुपालन में पोषणीय भी नहीं है और निरस्त किए जाने योग्य है।

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष के मुख्यतः तर्क हैं कि आवेदक/अभियुक्तगण सह–मालिक खसरा संख्या 173 रकवा 0.1940 है० स्थित ग्राम मुबारकपुर बाँगर, तहसील महावन, जिला मथुरा के हैं और अपनी उक्त आराजी पर काबिज चले आते हैं, उक्त आराजी को जोत–बो कर उसकी फसल से लाभान्वित हो रहे हैं। आवेदक/अभियुक्तगण ने कभी कोई बैनामा या इकरारनामा बबिता बंसल व सुभाषचंद के नाम नहीं किया और न ही उन्हें अपनी पैतृक आराजी को बेचने की आवश्यकता थी। उधार के रूपयों की सुरक्षा की लिखापढ़ी दर्शाकर बबिता बंसल व सुभाषचंद ने धोखे से आराजी का इकरारनामा व बैनामा अपने हक में करा लिया और इस प्रकार आवेदक/अभियुक्तगण स्वयं पीड़ित हैं। वादी द्वारा उक्त बबिता बंसल से जिस भूमि को पंजीकृत बैनामा दिनांकित 04.07.2025 के माध्यम से क्रय किया जाना बताया गया है, उसे इस वाद में अभियुक्त बनाया ही नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि वादी और बबिता बंसल ने साजिश के तहत दुरभि संधि कर आवेदक/अभियुक्तगण पर दबाव बनाने की नीयत से यह मुकदमा पंजीकृत कराया है। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण को दीवानी वाद को फौजदारी कार्रवाई की रंगत देने के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर आरोपपत्र प्रस्तुत होने तक रोक लगाई थी। आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिए गए हैं और थाना महावन पुलिस आवेदक/अभियुक्तगण को तंग व परेशान कर रही है और उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। आवेदक/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.07.01 17:21:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थनापत्र माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था 'आशा दुबे प्रति मध्य प्रदेश राज्य' के अनुपालन में पूर्णतः पोषणीय है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 29.05.2026 के माध्यम से विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 05.05.2026 व 19.05.2026, जोकि अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में हैं, को प्रभावहीन कर दिया गया है।

6– उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु विधि व्यवस्था **गुरूवख्श सिंह सिविया प्रति स्टेट आफ पंजाब 1978 Cr.L.J. 20(F.B.)** का संज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Sec. 438 of the code is in the nature of a shield for protecting entirely innocent person from malicious humiliation–––care has to be taken that this provision does not become sword in the hands of the unscrupulous person to gain time for destroying the incriminiating evidence against them and to mock at the lagitmate investigation process authorised by law.

स्वीकृत रूप से इस प्रकरण में बाद विवेचना आरोपपत्र आ चुका है और दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण **अंगूरी देवी, राजकुमार एवं श्यामबाबू** को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत होने तक आवेदक/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी, इस तर्क से अभियोजन व वादी पक्ष को कोई इंकार नहीं है। अभियोजन व वादी पक्ष को अभियुक्त पक्ष के इस तर्क से भी इंकार नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 29.05.2026 के माध्यम से विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 05.05.2026 व 19.05.2026, जोकि अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में हैं, को प्रभावहीन कर दिया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा दौरान विवेचना, विवेचना में कोई सहयोग न किया गया हो, ऐसा भी कोई तर्क अभियोजन व वादी पक्ष का नहीं है। अभियोजन व वादी पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण की किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर कोई मत प्रकट किए, आवेदक/अभियुक्तगण को निम्न शर्तों के अधीन दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

1– आवेदक/अभियुक्तगण दौरान विचारण, न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और अपने स्तर से विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेंगे,

2– आवेदक/अभियुक्तगण उक्त प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देंगे और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेंगे,

3– आवेदक/अभियुक्तगण बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोड़ेंगे,

4– आवेदक/अभियुक्तगण ऐसा अपराध, जिसे करने का उन पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेंगे और उनके द्वारा विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा मुवलिग 2,00,000–2,00,000/– (दो–दो लाख) रूपए के व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो–दो विश्वसनीय जमानतें सम्बन्धित न्यायालय में नियमानुसार अविलम्ब प्रस्तुत की जायँ।

दिनांक–01.07.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी, निजी सहायक